न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

मिसल नम्बर	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
111/2020	11.08.2020	10.06.2026

पीठासीन अधिकारी :– चारू (आई.ए.एस.)

–:: उनवान::–

1. कविता उर्फ विनिता शर्मा पुत्र श्री महेशचन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी विज्ञान नगर कोटा
2. बबीता शर्मा पुत्री श्री महेशचन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी जीरकपुर पंजाब
3. सविता शर्मा पुत्री श्री महेशचन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी झोटवाडा जयपुर राज.
4. धीरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री महेशचन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी जवाहर नगर कोटा जरिये मुख्तार श्रीमति कविता उर्फ विनिता शर्मा पुत्र श्री महेशचन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी विज्ञान नगर कोटा

(वादी)

बनाम

1. चेतन शर्मा पुत्र श्री सुखदेव शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बिल्डिंग नम्बर 4 फलैट नम्बर 405 केन्द्रीय विहार जगतपुरा जयपुर राज.
2. अनिल शर्मा (तिवारी) पूत्र श्री बच्चनराम जी जाति ब्राह्मण निवासी–6 फ्लोर, रामकृष्ण अपार्टमेन्ट,शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता वाद अन्तर्गत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के दादा सुलेखचन्द जी के बच्चनराम शर्मा और महेशचन्द शर्मा 2 पुत्र थे। इनकी विभिन्न खसरा नम्बरान की ग्राम गोरधनपुरा मे जमीने थीं। बच्चनराम शर्मा की संतानो मे खसरा नम्बर 27 जिसका पुराना खसरा नम्बर 22/3 हिस्सा पैतृक आराजी का था। इसका नया ख्सरा नम्बर 27 रकबा 0.05 है0 अंकित किया गया। प्रतिवादी कम 1 जब नाबालिग था तक ही सुखदेव शर्मा जी ने उसको अपने नाम करवा लिया।

प्रतिवादीगण उक्त गलत एन्ट्री के आधार पर खसरा नम्बर 237 की रकबा 0.05 है0 को बिना दुरूस्त करवाये बेचान करने को तत्पर हैं जो विधि विरूद्व है। वादीगण के पिता द्वारा बच्चनराम जी के पक्ष में तथाकथित रिलीज डीड दिनांक 27.01.2010 को निरस्त करने के लिए दावा सिविल न्यायाधीश जिला कोटा में पेश कर दिया है।

वाद कारण वादीगण के दादा सुरेखचन्द शर्मा होने से ग्राम गोरधनपुरा तहसील रामगजमण्डी जिला कोटा में विभिन्न खसरा नम्बर की आराजीयात स्थित होने जिसका पुराना खसरा नम्बर 22/3 स्थित तथा पैतृक आराजीयात 6 बिस्वा रकबा 27 का 0.05 है0 अंकित होने, वादीगण के पिता की मृत्यू के बाद हल्का पटवारी से जानकारी प्राप्त होने तथा इन्द्रजात गलत रूप से दर्ज होने तथा प्रतिवादी के खाते का रकबा व नक्शा दोनों परिवर्तित कराने तथा वादीगण को किसी प्रकार की जानकारी नही मिलने तथा खसरा नम्बर 22/2 का एक बीघा 6 बिस्वा जगदेव के नाम होने, उस स्थान पर प्रतिवादीगण ने अपनी आराजीयात बताने पर वादीगण द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हेतु आवेदन रामगंजमण्डी मे प्रस्तुत करने व गलत एन्ट्री के आधार पर बिना दुरूस्त करवाये गये खसरा नम्बर 27 की 0.05 है0 अपनी बताकर बेचान करने को तत्पर होने तथा वादीगण के पिता बच्चनराम के पक्ष में रिलीज डीड दिनाक 27.10.2010 को निरस्त करने का दावा रामगंजमण्डी कोर्ट में पेश करने पर अन्तिम दिनांक 27.07.2020 को पेश हुआ।

अन्त मे अन्य कथन किये जाकर निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण द्वारा गलत रूप से जो एन्ट्री की है वह अवैध विधि विरूद्व व गैर कानूनी है जिस पर कोई अमल नही किया जावे, तथा वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि उक्त सम्पत्ति को प्रतिवादीगण कही रहन, बेय, अन्तरण, बेचान आदि नहीं करें। ऐसा ना तो स्वय करे और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि के जरिये कराऐ एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो भी हो वादीगण के पक्ष मे की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

दावा वादीगण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 व 2 की तरफ से श्री श्याम बिहारी माहेश्वरी एडवाकेट ने वकालतनामा पेश किया। जवाब दावा एवं फर्द दस्तावेज पेश किये। जवाब सरकार पेश हुआ। दस्तावेजात की नकल दिलाई गई। पत्रावली को तनकी हेतु नियत किया गया। वादी के वाद एवं प्रतिवादी के जवाब दावा के आधार पर निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गई।

तनकी नम्बर 1 :— आया वादीगण वादगत भूमि के संबंध मे प्रतिवादीगण द्वारा गलत रूप से जो एन्ट्री की है वह अवैध विधि विरूद्व व गैर कानूनी होने से उसका अमल रूकवाकर उसको खारिज करवाने के हकदार हैं। **(वादीनीगण)**

तनकी नम्बर 2 :— आया वादीगण वादगत भूमि के खातेदार घोषित होने के हकदार हैं।

(वादीनीगण)

तनकी नम्बर 3 :— आया वादीनीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्थाई निषधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार हैं।

(वादीनीगण)

तनकी नम्बर 4 :— आया वादगत भूमि का विभाजन एवं विकय प्रथक–प्रथक वादीगण एवं प्रतिवादी कम 2 द्वारा वाद प्रस्तुति से कई वर्ष पूर्व हो जाने के कारण दावा वादीगण काबिल खारिज है।

(प्रतिवादी–1 व 2)

तनकी नम्बर 5 :— आया दावा वादीगण तथ्यों को छिपाकर तथा मियाद बाहर पेश होने के कारण काबिल खारिज है। **(प्रतिवादी–1 व 2)**

तनकी नम्बर 6 :— अनुतोष

साक्ष्यवादी में गवाह वादी में दिनांक 16.12.2025 से दिनांक 06.02.2026 तक कुल 5 अवसर देने के उपरान्त भी साक्ष्यवादी नहीं कराने के कारण साक्ष्यवादी बन्द की गई। प्रतिवादी वकील द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करना चाहते, कथन किये जाने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी भी बन्द की गई। पत्रावली को बहस अंन्तिम हेतु नियत किया गया।

वकील वादी के अनुपस्थित रहें है। अतः वकील वादी के वाद पत्र को ही उनकी बहस मासना जाता है। वकील प्रतिवादी की एकतरफा बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात से न्यायालय को यह ज्ञात हुआ कि वर्तमान मे यह वाद सिविल न्यायालय रामगंजमण्डी में व इसका एक T.I. प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल अजमेर में चल रहा है। R.A.A. कोटा द्वारा भी उक्त प्रार्थना पत्र में यथा स्थिति के निर्देश दिये गये हैं। अतः आदेश से पूर्व इन दोनों न्यायालयों के वाद की स्थिति जानने के लिए न्यायालय द्वारा के उक्त प्रकरणों के निर्णयों की प्रतियां पेश करने के लिए निर्देश दिये गये।

वकील प्रतिवादी द्वारा तत्पश्चात माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण कोटा/टि0एक्ट/निगरानी संख्य 6463/2021 उनवान चेतन शर्मा बनाम श्रीमति कविता उर्फ विनिता के आदेशिका की फोटोप्रति, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा की अपील संख्या 2021/42 उनवान श्रीमति कविता उर्फ विनिता बनाम चेतन शर्मा निर्णय दिनांक 30.11.2021 के निर्णय की फोटोकोपी तथा न्यायालय सिविल न्यायालय सिविल न्यायधीश रामगंजमण्डी के प्रकरण संख्या CS– 33/20 की फोटोप्रति पेश की। तत्तपश्चात तहसीलदार रामगंजमण्डी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा उनके पत्र कमांक/राजस्व/2026/336 दिनांक 04.06.2026 मौका रिपोर्ट पेश की गई। वादी वकील के अनुपस्थित रहने के कारण उसके वाद पत्र को ही उसकी बहस माना गया।

वकील प्रतिवादी की एतकरफा बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि बच्चनराम जी की संतान ने कभी भी राजस्व रेकार्ड मे कोई गलत इन्द्राज नहीं करवाया ग्राम गोरधनपुरा की ख.न. 22/1 का विभाजन वर्ष 1983 में ही हो चुका था। जिसमें ख.न. 22/1 प्रतिवादी0 1 के पिता सुखदेव को, 22/2 जगदेव को तथा ख.न. 22/3 अनिल को मिले। उक्त तीनों सुखदेव जगदेव और अनिल बच्चनरामजी के ही पुत्र हैं। 22/4 रकबा 1 बीघा वादीनी कम–2 के नाम पर 22/5 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा वादिनी कम–3 के नाम पर, 22/6 रकबा 19 बिस्वा वादीनी कम/1 के नाम पर तथा खसरा नम्बर मिन 22 रकबा 11 बिस्वा सुखदेव, जयदेव व अनिल कुमार पुत्र बच्चनराम 1/2, ललिता व सरिता नाबालिग पुत्रिया महेशचन्द हि. 1/2 वली महेशचन्द शर्मा के खाते दर्ज हुई और इन आराजीयात में भूखण्ड बनाकर वादीगण के पिता ने अपने जीवनकाल मे समस्त भूखण्ड भिन्न–भिन्न व्यक्तियों को विकय कर दिये । इस तथ्य की पुष्ठी विकय इकरारनामा दिनांक 22.09.2021 के द्वारा वादीनी कम 3 द्वारा आलेखित विकय पत्र से होती है।

खसरा 22/3 की 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि अनिल कुमार ने खुखदेव वगैराह को बेचान कर दी और इन्होने इसमें से 6 बिस्वा भूमि ओमप्रकाश ईडानी को दिनांक 6.8.1994 विकय कर दी। यहां महेशचन्द

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

शर्मा गवाह थे। इतने सालों तक भी इन्होने कभी खसरा नम्बर 22 के विभाजन और इस विक्रय पत्र को चुनौति नहीं दी। ख.न. 22 का वर्तमान ख.न. 27 जो प्रतिवादी–1 के खाते दर्ज है। वादगत भूमि का विभाजन महेशचन्द शर्मा के जीवनकाल में ही बच्चनराम व महेशचन्द शर्मा की सहमति से हुआ था। ख.न. 22 का कई हिस्सों में विभाजन किया जाकर बटा नम्बर अंकित किया गया है। इससे संबंधित दस्तावेज वादी ने पेश नहीं किये है। इन्हे पेश करना चाहिए था। किन्तु इन्होने पेश नहीं किये और प्रतिवादी–1 को परेशान करने के उद्देश्य से वाद पत्र का दबाव बनाकर इस जमीन को हडपना चाहते हैं। अतः दावा वादी खारिज किया जावे।

हमारे द्वारा बाद बहस पत्रावली का अधोपांत अवलोकन किया गया। वादी के वाद पत्र, प्रतिवादी के जवाब दावा एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात को देखा गया। वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व वादगत भूमि के राजस्व रेकार्ड में जो एन्ट्री की गई हैं उन्हें अवैध विधि विरूद्व व गैर कानूनी घोषित करवाकर उसका खातेदार घोषित होने सहित प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेघज्ञा का अनुतोष चहा गया है। वाद पत्र की तनकीवार विवेचना निम्न प्रकार है :–

तनकी नम्बर 1 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादीनीगण पर था। इस तनकी को साबित करने के लिए वादीनीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह तथ्य प्रमाणित हो सके। साथ प्रकरण में तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी ऐसा नहीं लिखा। अतः यह तनकी खिलाफ वादीनीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादीनीगण पर था। इस तनकी को साबित करने के लिए वादीनीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया। अतः साक्ष्य के अभाव में यह तनकी खिलाफ वादीनीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 3 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादीनीगण पर था। इस तनकी को साबित करने के लिए वादीनीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया। अतः साक्ष्य के अभाव में यह तनकी खिलाफ वादीनीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 4 व 5 :– इन दोनों तनकीयों को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। इन तनकीयों को साबित करने के लिए वादीनीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 में वाद दायर करने की कोई समय सीमा नही है। अतः यह तनकी खिलाफ प्रतिवादीगण तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचना उपरान्त हम यह पाते है कि वादी द्वारा कोई दस्तावेज या गवाह पेश नहीं किया गया जिससे वादी के दावे की पुष्टी हो सके। साथ उक्त वादगत भूमि नगर पलिका रामगंजमण्डी के क्षैत्रधिकार में स्थित है और नगर पालिका रामगंजमण्डी को इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादगत भूमि खण्डों में बंटकर उस पर कोलोनियां, प्लाट आदि काटे जा रहे हैं तथा मकानात भी बने हुए हैं। जिससे वादगत भूमि अब कृषि भूमि नहीं रही और आवासीय ईकाई हो चुकी है। इसलिए इस प्रकरण का निर्णय सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना भी उचित प्रतीत होता है। वाद में सार नहीं है।

अतः गुणावगुण के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में दावा वादीगण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिकरी मुर्तिब हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.06.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

चारू (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी (राज.)